सीआरएल/2021-22/000014 **दिनांक: 21 अप्रैल 2022**

भारत से गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात के लिए परामर्श

1. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है और यह महत्वपूर्ण है कि हम आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार केवल अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की आपूर्ति करें और यह सुनिश्चित करें कि इससे संबंधित कोई शिकायत प्राप्त न हो। निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे भारत से गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात में आवश्यक उपाय करें।

2. संबंधित राज्यों/क्लस्टरों में चिन्हित उत्पादन क्षेत्र से गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सोर्सिंग/खरीद।

3. एपीडा से पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना। एपीडा पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एपीडा वेबसाइट (www.apeda.gov.in) पर कॉर्पोरेट सूचना आइकन के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया का उपयोग करें।

4. आयातक देश की आयात आवश्यकताओं की पूर्ति:

    - खाद्य सुरक्षा उपायों और उपयुक्त विनिर्माण और स्वच्छता कार्यों का कार्यान्वयन।
    - आयातक देशों के साथ पंजीकरण, यदि अपेक्षित हो (उदाहरण के लिए मिस्र को गेहूं के निर्यात के लिए, जीएएससी मिस्र में आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक खरीद के साथ एक नोडल एजेंसी है, और भारतीय निर्यातकों को जीएएससी को आपूर्ति करने के लिए पहले काहिरा में स्थानीय एजेंटों या उनके प्रतिनिधि अधिकारी के माध्यम से जनरल ऑथोरिटी फॉर सप्लाई एंड कमोडिटी (जीएएससी) के साथ पंजीकरण करना होगा)।
    - आयातक देशों द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुसार कीटनाशक परीक्षण की पूर्ति। निर्यात किए जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता हेतु, एपीडा ने उत्पाद निर्यातकों की व्यापक श्रृंखला को परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए अखिल भारत में 231 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है।
    - अनुरूपता प्रमाण पत्र (सीओसी), यदि आयातक देशों आदि द्वारा अपेक्षित हो।
    - कृपया सुनिश्चित करें कि उत्पाद डस्ट और कीट आदि से मुक्त है और आयातक देशों द्वारा प्रदान किए गए सभी विनिर्देशों को पूरा करता है।

5. आयातक देश की आवश्यकता के अनुसार पैकेजिंग का विकास।

6. रेल मंत्रालय की सलाह के अनुसार, वैगन में किसी भी संभावित देरी और परिणामी रुकाई प्रभार से बचने के लिए, सभी निर्यातकों को गेहूं को स्टैंडर्ड बैग में लोड करने की सलाह दी जाती है।

7. वनस्पति संगरोध विभाग से फाइटो सेनेटरी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना। यह भी सुनिश्चित करना, यदि संबंधित देश से पीएससी में किसी अतिरिक्त जानकारी का उल्लेख करना अपेक्षित है।

8. यह कहना अनावश्यक है कि यदि किसी निर्यातक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इन परिस्थितियों में उचित कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. तरुण बजाज
निदेशक